Session 13

COVID – 19 रक्षा उपाय स्थानीय स्वशासन मार्गदर्शिका

सुभिक्षा केरलम

कर्मा योजना

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF KERALA

Kerala Institute of Local Administration (KILA)

01/06/2020

सुभिक्षा केरलम - योजना आयोजन

- सुभिक्षा केरलम - ग्राम पंचायत / नगर पालिका के प्रभारी
- ग्राम पंचायतों / नगर पालिकाओं और विभागों के लिए केवल एक योजना है
  - उपलब्ध कृषि भूमि का पता लगाना
  - परती भूमि / घर को छोड़कर
  - स्थानीय निकाय के नेतृत्व में मकान मालिक को स्वामित्व अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- प्रत्येक भूमि क्षेत्र के लिए आवश्यक कृषि फसलें और गतिविधियाँ
- पशु देखभाल गतिविधियों का अधिग्रहण किया
- अंतर्देशीय मछली पकड़ने की गतिविधियाँ जो की जा सकती हैं
- ऐसी कृषि और पशु कल्याण गतिविधियों को करने वालों का विवरण

सुभिक्षा केरलम - योजना आयोजन

- वार्ड स्तर की समिति के नेतृत्व में खेतों और किसानों / समूहों का डेटा संग्रह
- संबंधित समर्थन प्रणाली पर विस्तृत जानकारी
  - तकनीकी सहायता
  - जल उपचार की सुविधा
  - प्रशिक्षण
  - बाजार की सुविधाएं
  - निगरानी
- विस्तृत कृषि योजना
  - स्थानीय स्व सरकार के लिए कृषि कार्य समूह
  - ब्लॉक - जिला पंचायतों को परियोजना विनिर्देशों के ग्राम पंचायतों को सूचित करना चाहिए जो वे लागू कर रहे हैं
  - कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य सरकारी एजेंसियों और मिशनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना विशिष्टताओं को संबंधित ग्राम पंचायत / नगर पालिका को सूचित किया जाना चाहिए।

सुभिक्षा केरलम - योजना आयोजन

- कृषि कैलेंडर की तैयारी -
  - कार्य: कृषि विभाग
  - प्रत्येक फसल का वैज्ञानिक उत्पादन - फसल के समय पर निर्भर करता है
  - जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए

सुभिक्षा केरलम - परियोजना की गतिविधियाँ

1. परती भूमि पर खेती करें
2. बंजर भूमि की खेती - (जिम्मेदारी: स्थानीय स्व सरकार)
   - ❑ सार्वजनिक स्वामित्व: - सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्वामित्व
   - ❑ निजी स्वामित्व: मालिक पर भरोसा
3. बंजर भूमि में रुचि रखने वाले किसान और कृषि समूह: - (उत्तरदायित्व: स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ, कृषि अधिकारी, कुदुम्बश्री सीडीएस)
   - ❑ सार्वजनिक रूप से स्वामित्व: - JLGs
   - ❑ निजी स्वामित्व: - जमींदार / किसान / मौजूदा या नए JLGs
   - ❑ काम के बाद घर लौट रहे युवाओं और प्रवासियों को प्रोत्साहन

I. परती भूमि पर खेती करें- निरंतर

3. वर्तमान कृषि भूमि में उत्पादन में वृद्धि: (जिम्मेदार: कृषि अधिकारी)
   - ❑मृदा परीक्षण
   - ❑उच्च प्रजनन क्षमता वाले बीज
   - ❑अनुसंधान गतिविधियाँ
4. कृषि गतिविधियों के लिए सहायता: -
   - ❑किसानों और किसान समूहों के लिए क्षमता निर्माण (जिम्मेदार: कृषि अधिकारी, कुदुम्बश्री)
   - ❑वैज्ञानिक रूप से खेती योग्य फसलों पर ज्ञान प्रदान करना
   - ❑प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता

   * कृषि अधिकारी * कृषि ज्ञान केंद्र * कृषि सेवा केंद्र * मास्टर किसान
   * किसान सुविधा केंद्र
   * कृषि विश्वविद्यालय

I. परती भूमि पर खेती करें- निरंतर

4. कृषि गतिविधियों के लिए समर्थन:
   - ❑ कृषि गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाओं का प्रावधान (कार्य: सहकारी समितियां, कुदुम्बश्री, बैंक)
   - ❑ प्राथमिक सहकारी समितियों और बैंकों (केरल बैंक, केरल ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों) से ऋण सहायता
   - ❑ ब्याज सब्सिडी / सब्सिडी ऋण उपलब्धता
   - ❑ किसान क्रेडिट कार्ड सेवाओं का विस्तार
   - ❑ भूमि विकास गतिविधियाँ (जिम्मेदारी: स्थानीय स्वशासन)
   - ❑ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एक समय में भूमि परती भूमि)
   - ❑ तकनीकी सहायता (जिम्मेदारी: स्थानीय स्वशासन विभाग, कृषि विभाग)
     - मृदा निरीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता
     - बीज, उर्वरक और कीटनाशक

I. परती भूमि पर खेती करें- निरंतर

4. कृषि गतिविधियों के लिए समर्थन - निरंतर
   - ❑ कृषि उपकरण और श्रम आपूर्ति
     - हरित सेना (निर्दिष्ट स्थलों पर)
     - कुशल किसान, किसान सुविधा केंद्र
     - कृषि कर्म सेना / पद्शेखर समिति
   - ❑ सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं (जिम्मेदारी: - स्थानीय स्वशासन विभाग, कृषि विभाग)
     - आवश्यकतानुसार स्थानीय प्राधिकरण परियोजनाएँ
     - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का एकीकरण

II. घर में खेती और लघु अवधि खेती के लिए प्रोत्साहन (प्रभारी: स्थानीय स्वशासन संगठन)

- खेती के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगाएं
  - बस खाली जमीन जो घर के अलावा खेती केलिए काम आ सके
  - नारियल की फसल सहित छोटी अवधि की खेती
  - खाली छत की खेती के लिए आदर्श (छत की खेती)
- सीमित स्थान के स्थान पर आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना
  - खड़ी खेती।
  - एक्वापोनिक्स / हाइड्रोपोनिक्स
- जमीन के मालिक से बात करें और उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें।
  - जो खुद को कृषि कार्य के लिए तैयार करते हैं।
  - जिन लोगों की कृषि कार्य में सहायता की आवश्यकता है।
  - जो लोग खेती के लिए जमीन छोड़ने को तैयार ह।

II. घर में खेती और लघु अवधि खेती के लिए प्रोत्साहन (प्रभारी: स्थानीय स्वशासन संगठन)- निरंतर

- घर की खेती / अंतर-फसल के लिए सहायक समूह का गठन
  - विशेषज्ञ किसान और किसान सुविधा केंद्र
  - कृषि कर्म सेना
  - संसाधन व्यक्ति
- स्थानीय स्व सरकारी विभाग हेल्पलाइन
  - वेब आधारित / व्हाट्सएप
  - क्यू आर कोड, फोन इन, टेक्स्ट संदेश या ईमेल प्रतिक्रिया।

II. घर में खेती और लघु अवधि खेती के लिए प्रोत्साहन (प्रभारी: स्थानीय स्वशासन संगठन)- निरंतर

- घर में सब्जी की खेती
  - प्रत्येक पंचायत में प्रति यूनिट 1500 ग्रो बैग इकाई
  - नगरपालिकाओं में 500 ग्रो बैग इकाई
  - निगमों में 5000 ग्रो बैग इकाई
  - प्रत्येक जिले में 2 लाख सब्जी बीज पैकेट
- होम गार्डन में आलू की खेती
  - 1500 रोपण सामग्री किट कृषि भवन में: 200 रुपये टैपिओका और शकरकंद के साथ
- एकीकृत खेती विधि परियोजना
  - केरल निर्माण, जैव-ग्राम-एकीकृत खेती विधि परियोजना (टीवी (3) 5208/2020 / परिपत्र दिनांक 17/03/2020) को फिर से बनाएँ
  - सहकारी समितियों के माध्यम से लागू किए जाने वाले नाबार्ड के विशेष पैकेज में शामिल ऋण

III. एक करोड़ फलों के पेड़ के रोपण और पालन

(जिम्मेदार: स्थानीय स्वशासन विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक वन विभाग, हरित केरल मिशन और महात्मा गांधी एनआरईजी यस मिशन)

- स्थानीय स्वशासन संगठन के 12 मद कार्यक्रम में मुख्य योजना
- सरकारी - निजी जमीनों पर हर साल एक करोड़ फलदार पेड़ लगाने की सुविधा मिलती थी
- पेड़ का संरक्षण महत्वपूर्ण है - पिछली साल तक के लिए रखरखाव
- " पच्चत्तुरुततु " योजना के मॉडल पर
- छात्रों, युवा संगठनों और कुडुम्बश्री के सहयोग में स्थानीय स्तर पर बीज के संग्रह करके लोकप्रिय काम

III. एक करोड़ फलों के पेड़ के रोपण और पालन

(जिम्मेदार: स्थानीय स्वशासन विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक वन विभाग, हरित केरल मिशन और महात्मा गांधी एनआरईजी यस मिशन) - निरंतर

- शुरू कर सकती हैं: परियोजना को एक परियोजना के रूप में तैयार किया जा सकता है।
- कृषि फार्म, वी एफ पी ई के, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि सेवा केंद्र और कृषि-कर्मसेना द्वारा उत्पादित बीज उपयोग किया जा सकता है।
- एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें पेड़ का प्रकार, रोपण स्थान, स्थान, मालिक का नाम और रखरखाव की जिम्मेदारी शामिल है।
- हरिथा मिशन द्वारा विकसित हरिथा दृष्टि मोबाइल ऐप का उपयोग करके जियोटैग किया जाना चाहिए।

IV. अंडा, दूध और मांस उत्पादन पर जोर देने के साथ पशु कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए

- मुर्गे, बत्तख और बटेर पालन
- 'केरल चिकन' ब्रान्ड मांस मुर्गी उत्पादन
- बढ़ती गाय, भेड़, भैंस, गाय, सुअर
- क्रॉस-ब्रीड गाय इकाइयों को स्थापित करने की योजना
- स्वच्छ पशुधन फार्म के लिए सहायता: एक मंच, पीने का पानी, मूत्र एकत्र करने वाले गड्ढे और गोबर प्रतिस्थापन की सुविधा।
  - ❖ रोजगार गारंटी योजना का उपयोग किया जा सकता है
- एजोला खेती और चारे की खेती को बढ़ावा देना
- वाणिज्यिक थकान निर्माताओं के लिए परियोजना का समर्थन

v. अंतर्देशीय मछली पकड़ने को बढ़ावा देना

1. 25000 होमस्टेड बायो फ्लोट फर्मिंग
   - ❖ 25000 मछुआरों के लिए रोजगार
2. पर्ल स्पॉट फर्मिंग इकाइयां
   - ❖ यूनिट लागत:-8.5 लाख रुपये
   - ❖ 3000 हेक्टेयर बेकार नमकीन पूल
   - ❖ 6000 मछुआरों के लिए रोजगार
3. नमक के पानी में घोंसला में काम
   - ❖ यूनिट लागत:-3.5 लाख रुपये
   - ❖ 5000 यूनिट
   - ❖ 12,000 मछुआरों के लिए रोजगार
4. एक धान पर एक मछली परियोजना
   - ❖ 13,000 हेक्टेयर बंजर भूमि में एकीकृत खेती
   - ❖ 20000 प्रति हेक्टेयर
   - ❖ 13,000 मछुआरों के लिए रोजगार
5. पटौदा तालाब में मछली पालन

इकाई लागत: रु एक लाख

- 5000 इकाइयाँ
- ❖ 5,000 मछुआरों के लिए नौकरियां

6. 14 मोबाइल एक्वा लैब्स
   - ❖ मछली पालन की पहल के लिए रोग की निगरानी के लिए जिला स्तरीय प्रणाली
   - ❖ इकाई लागत: रु 25 लाख

VI. स्थानीय बाजार सुविधाओं की तैयारी

- मौजूदा प्रणालियों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए
  - हॉर्टिकोर
  - वी.एफ.पी.सी.के.आर.
  - किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
  - इको शॉप
  - किसान खुदरा आउटलेट (एफआरओ)
  - कृषि सहकारी भंडार
  - कुदुम्बश्री द्वारा बाजार इकाइयां
- ग्रामीण सप्ताह के बाजारों का निर्माण-औद्योगीकरण योजना में
- ऑनलाइन मार्केटिंग क्षमता
- विभिन्न बाजारों का शीर्ष निकाय
- बाजार खत्म हो गया है और पैसा किसान के खाते में पहुंचने के तंत्र

VII. खाद्य प्रसंस्करण - मूल्य वर्धित गतिविधियों को बढ़ावा देना - निरंतर

- मूल्य वर्धित उत्पाद इकाइयाँ
  - मौजूदा परियोजनाओं को सक्षम करना
  - नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना
  - रोजगार के अवसर: युवा और प्रवासी
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयाँ
  - स्थानीय कृषि उत्पादों पर आधारित मूल्य वर्धित पहल
  - उद्योग विभाग, कृषि विभाग और सहकारी संस्थाओं की सेवा और समन्वय सुनिश्चित करें।

VII. खाद्य प्रसंस्करण - मूल्य वर्धित गतिविधियों को बढ़ावा देना - निरंतर

- मौजूदा परियोजनाओं या स्थानीय स्वशासन या अन्य प्रासंगिक विभागों के संयोजन में व्यवहार्यता गैप फंड को लेकर उद्यमियों को वित्तीय सहयोग करें।
- 12 उपरोक्त खंड में स्थानीय रोजगार आश्वासन कार्यक्रम कार्यक्रम (UO पर दिनांक 06/03/2020) (MS)संख्या 45/2020/LSGD को शामिल किया जाएगा ।
- संचालन की योजना ब्लॉक-जिला पंचायतों/नगर स्तर पर बनाई जा सकती है।
- कृषि विभाग की तकनीकी सहायता

VIII. उत्पाद भंडारण

- खाद्य उत्पादन के साथ-साथ भंडारण की सुविधा भी होनी चाहिए
  - ❖ शीतगृह
  - ❖ अनाज भंडारण गृह
  - ❖ जीरो ईआर स्कूल चैंबर

Zero Energy Cooling Chambers (ZECC)

Zero-Energy Cooling Chamber

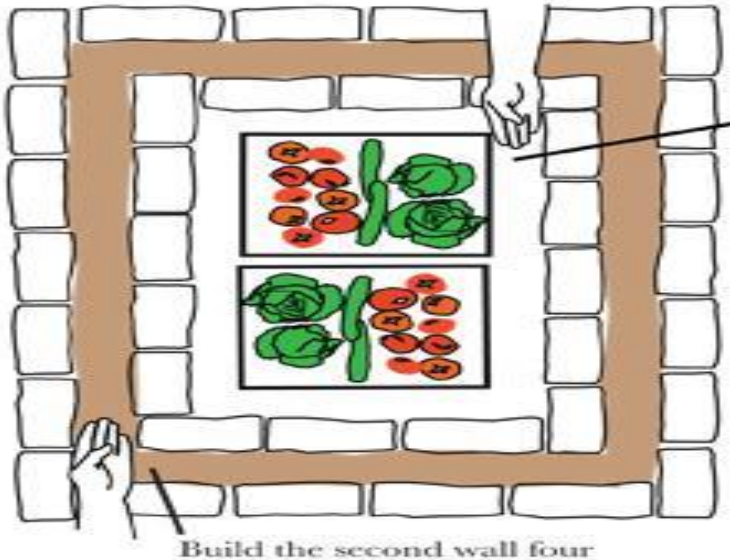

Measure **four fingers** of space (7-8cm) around your storage containers to get the size for the chamber.

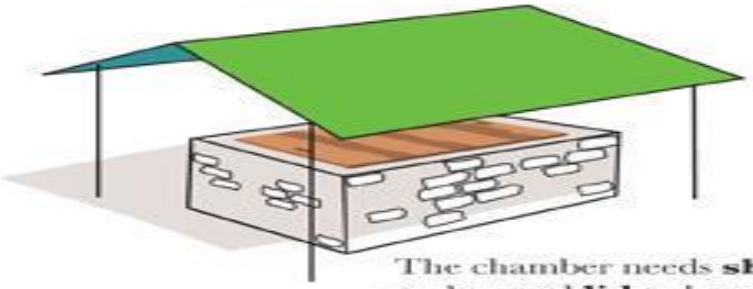

The chamber needs **shade** and a good **lid** to keep the cool air in and animals out.

Build the second wall four fingers away from the first wall.

Fill the gap between the two walls with **sand**. Keep the sand wet by soaking it with **water** 2-4 times per day.

Stack the bricks so the walls are taller than your storage containers. You do **not** need to use mortar.

Evaporating water from the wet sand keeps the vegetables cool.

Use **any** kind of bricks that you have in your community: kiln fired or sun baked mud.

Illustrations by Rebecca Jane Houston, 2017

KILA Help Desk

0487-2455000
0487-2204097

helpdesk@kila.ac.in

KILA DIGITAL REPOSITORY
www.dspace.kila.ac.in

KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION

Website : www.kila.ac.in, Email : info@kila.ac.in